

डिक्री व मुकदमे ईक्टदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया सहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 88/2024

1. वासीन खां
2. अमीन
3. तिपाकत अली
4. वारिस अली

पि० शरीफ जाति समस्त मुसलमान निवासीगण
रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादीगण

बनाम

1. कस्मा पत्नी शरीफ जाति मुसलमान निवासी रोडावाली तह.व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सादक अली पुत्र शरीफ जाति मुसलमान नि.रोडावाली तह.व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. इस्मा बीबी पुत्री शरीफ पत्नी कासम अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 4 नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. कुरसेदा पुत्री शरीफ पत्नी हाजिम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 14 रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. अमीरा कुरसेदा पुत्री शरीफ पत्नी सुवा सादक जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 4 नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. बसीरा बीबी पुत्री शरीफ पत्नी अब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 14 रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण




राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल क्वार्टर हमारे बहाजरी श्री एच.के.गर्ग वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री परविन्द्र सिह वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 9 एमएमके के खाता संख्या 164 जमाबन्दी सम्बत 2070-2073 मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण का बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो उक्तानसुर राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज...... नल...... मुब्लिक...... निल...... बाबत...... निल......400/-... खर्चा मुकदमें

के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...... अदा करें।
वसूल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...16.2.2025... को जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया